उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 87/2025/1089/छप्पन-2025-1970127
लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार शर्मा को शासनादेश संख्या- 88/2023/1187/छप्पन-2023-23/2017 दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के अन्तर्गत रु0 4.50 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री शर्मा द्वारा दिनांक 06.10.2023 के पूर्वाह्न में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार दिनांक 05 अक्टूबर, 2025 को श्री शर्मा की संविदा सेवा पूर्ण हो रही है।

2- शासनादेश संख्या- 52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014 दिनांक 19 मई, 2025 के अन्तर्गत निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या- 362/ना0उ0नि0/24-25 दिनांक 10 जून, 2025 के अनुसार श्री राजेश कुमार शर्मा को दिए जा रहे मासिक पारिश्रमिक रु0 4,72,500/- पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रु० 5,19,750/- पुनर्निधारित किया गया है। अपर निदेशक (तकनीकी) द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा की संविदा सेवा पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अग्रेत्तर पाँच वर्ष बढ़ाए जाने की संस्तुति की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा की संविदा सेवा दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए अर्थात 06.10.2025 से 05.10.2027 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार शर्मा की संविदा सेवा पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अग्रेतर 02 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 से 05 अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- श्री राजेश कुमार शर्मा की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्री राजेश कुमार शर्मा से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या: 87/2025/1089/छप्पन-2025-1970127 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री राजेश कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।